न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—267/2019/223 (2019/00267)

1. हरिराम पुत्र गणपत लाल,
2. श्योजीराम पुत्र गणपत लाल
   समस्त जाति मीणा, निवासी धमाणा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. लालाराम पुत्र गणपत लाल,
2. रामजीलाल पुत्र गणपतलाल,
3. रामेश्वर पुत्र गणपत लाल,
4. बजरंग लाल पुत्र गणपत लाल,
5. गोपाल पुत्र गणपत लाल,
   समस्त जाति मीणा, निवासी धमाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
6. शाखा प्रबंधक, सिंडीकेट बैंक शाखा बगरू, जिला जयपुर ।
7. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू, जिला जयपुर, दिनांक 18.3.2019 अंतर्गत वाद संख्या 54/2018.

उपस्थितः—

1. श्री दीपक पारीक, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शिवदत्त शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5 .
3. रेस्पो0 संख्या 6 की तलबी बंद ।
4. रेस्पो0 संख्या 7 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 02.11.2020

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.3.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी/अपीलांटस व प्रवितादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 5 भाई है तथा गणपत लाल के वारिसान है । विवादित आराजियात गणपत लाल की ही क्रयशुदा आराजियात है जिसका पंजीयन प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 के हक में करवाया गया था उस समय वादी/अपीलांट छोटे—छोटे बच्चे थे इसलिये उनके हक में विक्रय पत्र पंजीयन नहीं करवाया गया ।

जमीनों के भाव में तीव्र वृद्धि होने के कारण वादीगण/अपीलांटस के लिए अलग से भूमि गणपत लाल के जीवनकाल में नहीं खरीदी जा सकी इसलिये विवादित भूमि में वादीगण/अपीलांटस व प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 5 मौके पर अपने हिस्से अनुसार शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे थे लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादीगण/अपीलांटस का नाम दर्ज नही होने की स्थिति में विवाद की स्थिति बनी रहती है । राजस्व अभियान ग्राम धमाणा में भी वादीगण ने निवेदन किया तो प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा स्पष्ट मना तो नहीं किया गया परन्तु आनाकानी करते रहे इसलिये प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज हिस्से में से वादीगण/अपीलांटस का 2/7 हिस्सा का घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है । अतः वाद स्वीकार कर वाद वर्णित आराजियात में वादीगण/अपीलांटस को 1/7, 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.3.2019 को वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. पर विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जो कानून की जानकारी से पूर्णतया अनभिज्ञ है इसलिये उनको निर्णय व डिक्री की पूर्व में जानकारी नहीं रही । प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा जब उनके प्रकरण में राजीनामा हुआ तो उन्हें आश्वस्त किया गया था कि आपके प्रकरण का निस्तारण हो जावेगा इसलिये प्रार्थीगण पूर्णतया आश्वस्त थे और मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है । तत्पश्चात् बहस सुनी जाकर प्रकरण के निर्णय व डिक्री की जानकारी उनके अभिभाषक द्वारा नहीं दी गई जिससे निर्णय व डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । हाल ही में दिनांक 26.7.2019 को अप्रार्थीगण मौके पर आकर उनको धमकी दी जिस पर प्रार्थीगण द्वारा अधिवक्ता से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि अधिवक्ता द्वारा उन्हें प्रकरण के निर्णय की लिखित में सूचना भिजवाई गई थी किन्तु उन्हें प्राप्त नहीं होने से जानकारी नही हो सकी । तत्पश्चात् प्रार्थीगण ने दिनांक 29.7.2019 को निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया ओर दिनांक 30.7.2019 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । विवादित आराजियात गणपत लाल के द्वारा अपने जीवनकाल में क्रय की गई थी परन्तु उसका पंजीयन प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के हक में करवा दिया गया था । बरवक्त पंजीयन वादीगण/अपीलांटस छोटे–छोट नाबालिग बच्चे थे इसलिये उनके पक्ष में पंजीयन नहीं हो सका इस बात की ताईद में अपीलांटस ने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया था और प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प की भावना से राजीनामा भी प्रस्तुत किया और दिनांक 27.6.2018 को राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल किया गया जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को को निर्णय पारित करना चाहिये था परन्तु वाद की विषय वस्तु व राजीनामा को नजरअंदाज कर अधी0न्याया0 द्वारा वाद को निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने अपने राजीनामा में यह स्वीकार किया है कि

वादीगण/अपीलांटस को उनके दर्ज हिस्से में से 2/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जावे तो उनको कोई आपत्ति नहीं है किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा वाद की विषयवस्तु व राजीनामा को दरकिनार करते हुए अलग निर्णय पारि तकर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि राजस्व लोक अदालत कैम्प का आयोजन ही राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इसलिये किया जाता है कि लोक भावना से व राजीनामा के आधार पर वाद बाहुल्यता को रोकने के लिऐ आपसी सहमति से निर्णय पारित किया जा सके परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा राजीनामा को शामिल पत्रावली करने के उपरांत भी राजीनामा के अनुसार निर्णय पारित नही करने में कानूनी भूल की है । अधी0न्याया0 यदि राजीनामे से संतुष्ट नही था तो उन्हें राजीनामे को निरस्त कर ही प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने प्लीडिंग से बाहर जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 1999 पेज 531, आर0बी0जे0 1994 पेज 134, डी0एन0जे0 1999 पेज 594, आर0बी0जे0 1998 पेज 615, आर0आर0सी0 1999 पेज 485 एवं आर0आर0डी0 1998 पेज 644 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने बहस में अपीलांटस की बहस का समर्थन करते हुए पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामे के अनुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का कथन है कि रेस्पो0 के द्वारा इकबाली जवाबदावा एवं राजीनामा प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है । इसलिये अधी0न्याया0 को राजीनामा अनुसार वाद को डिक्री करना चाहिये था । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध वादपत्र की चरण संख्या 3 में अपीलांटस द्वारा यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि तथाकथित अपीलाधीन भूमियों के संदर्भ में विक्रयपत्र प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के हक में पंजीबद्ध करवाया गया था । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि राजस्व न्यायालय पंजीबद्ध दस्तावेज को नजरअदांज नहीं कर सकता है। यदि अपीलांटस विक्रय से पीड़ित है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत विक्रय पत्र को चुनौती देकर दुरूस्त करवाना चाहिये । इसके उपरांत ही वादीगण/अपीलांटस राजस्व न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते है । हम विद्वान अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से भी सहमत है कि इस प्रकार सीधे ही पंजीबद्ध दस्तावेज के विरूद्ध किसी तृतीय पक्षकार को खातेदारी अधिकार प्रदान करने से राजस्व की हानि होती है । अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से विवादित आराजियात को पिता की आय से क्रय करना साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है यही नहीं अपीलांटस ने विवादित आराजियात के विक्रय पत्र की प्रति भी पेश नहीं की है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.3. 2019 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 02.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर